

राजस्थान सरकार  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक:- एफ 33(8) खा.वि/प्रोक्यो/RMS/क्रय केंद्र/2023-24


जयपुर, दिनांक 12/05/23

:- आदेश :-

विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 14.03.2023 व 24.03.2023 के क्रम में रबी विपणन सीजन 2023-24 के दौरान प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद हेतु निम्नांकित अतिरिक्त नवीन क्रय केंद्र स्थापित किये जाते हैं :-

क्र.सं.	जिला	क्रय केंद्र का नाम	क्रय एजेन्सी
1	श्रीगंगानगर	सिहागावाली	नैफेड
2		फतूही	
3	हनुमानगढ़	24 DWD (मेगा हाईवे)	
4		29 DWD- धनासर	
5		14 PBN	
6		कोहला	
7		सिलवाला खुर्द	
8	टोंक	देवली	


यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
(अनीता मीना)

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राज0।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज0।
3. संयुक्त सचिव (एचडी), मुख्यमंत्री कार्यालय, राज0, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राज0, जयपुर।
5. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि/वित्त/राजस्व/खाद्य विभाग, राज0, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/समस्त जिला कलेक्टर, राज0।
7. प्रबंध निदेशक, नैफेड/राजफैड/तिलम संघ, राज0, जयपुर।
8. निदेशक, कृषि विपणन विभाग/बोर्ड, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
10. संयुक्त श्रम आयुक्त (विधि), कार्यालय श्रम आयुक्त, राज0, जयपुर।
11. संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम), परिवहन मुख्यालय, राज0, जयपुर।
12. महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, राजस्थान, जयपुर।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त संदर्भित क्रय केंद्रों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
14. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
15. जनसंपर्क अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
16. समस्त जिला रसद अधिकारी, राज0।

  
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त